न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/131

1. भंवराराम,
2. प्रहलाद,
3. नरेश पुत्रान हरिराम जाट, जाति जाट निवासी ग्राम पेजूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।
3. सत्यवीर पुत्र जयपाल सिंह, निवासी ढाणी टीबावाली, गांव बसई पोस्ट भालोपी, कोटपूतली जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री हेमन्त दीक्षित, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से**
3. **श्री अजय सिंह भगौर एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 21.09.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि खसरा नम्बरान 267, 274 स्थित ग्राम पेजूका तहसील कोटपूतली को उपकृषक जयमल पुत्र श्योसहाय के वारिसान फुसाराम पुत्र कालूराम, गिरधारी, सैमाल पुत्रान मूलाराम, महेन्द्र, सुरेश पुत्रान सांवतराम गुर्जर से जरिये बिचौती इकरारनामा क्रय करके कब्जा प्राप्त कर लिया तथा भूमि कस्टोडियन होने से राज्य सरकार में मुआवजा जमा कराके पट्टे की कार्यवाही अपीलार्थीगण कर रहे है तथा मौके पर काश्त भी अपीलार्थीगण की ही है, किन्तु फिर भी उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा दिनांक 07.04.2021 को अपीलान्ट काबिज खातेदारों को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय रूप से तहसीलदार से प्रस्ताव लेकर राजस्थान सरकार के किसी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने का अवैध व क्षेत्राधिकार विहिन आदेश पारित कर दिया जो सरासर कानून के एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी ने जिस ढंग से प्रशासनिक शक्तियों को प्रयोग करते हुऐ दिनांक 12.01.2021 को भूमि खसरा नम्बरान 273, 274/1.58 में से 0.320 हैक्टयर, खसरा नम्बर 376,

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

377, 378, 380, 381, 382 में से भूमि लेकर रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया तथा फिर उक्त दिनांक 12.01.2021 के आदेश को दिनांक 15.02.2021 को संशोधित किया तथा फिर पुनः दिनांक 07.04.2021 को किसी रामजीलाल पुत्र श्योदान मीना जाति मीना के प्रार्थना पत्र पर पुनः संशोधन करते हुए केवल मात्र रामजीलाल मीना को अनुचित लॉभ पहुँचाने व अपीलार्थीगण काबिज काश्तकारों की काश्त की भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कर क्षति पहूँचाने व उनकी काबिल काश्त भूमि को नष्ट करने के उद्देश्य से जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सरासर कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की और कतई ध्यान नही दिया कि यदि किसी व्यक्ति को स्वयं की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता भी है तो वह धारा 251 में तहसीलदार के यहाँ अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में उपखण्ड अधिकारी के यहाँ अनुतोष प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार से समरी प्रोसिडिंग्स के अर्न्तगत किसी भी पक्षकार को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त नही है इस करण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील पेश करने मे 5–7 दिन का विलम्ब जानबुझकर लापरवाहीवश नही हुआ बल्कि कोरोना महामारी के कारण राजस्थान सरकार द्वारा लॉक डाउन लगाये जाने के कारण हुआ है जो न्यायहित मे उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुये क्षमा किया जाना न्यायहित में है जिसके लिये अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा दिनांक 07.04.2021 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को रिमाण्ड किया जावें कि वे विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बरान 267, 278, 274 आदि स्थित ग्राम पेजूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के बारे में राजस्व रिकार्ड में गैर मु. रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थीगण को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी कोटपूतली द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि अपील में विवादित भूमि को अपीलान्ट स्वयं की दर्शाकर न्यायालय श्रीमान् को गुमराहा किया गया है तथा विवादित कृषि भूमि कस्टोडियन भूमि है जबकि उपरोक्त में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किसी भी खसरा नम्बर की भूमि अपीलार्थी के नाम नही है, अपीलार्थी सिर्फ खसरा नम्बर 267 एवं 268 की भूमि की किसी प्रकार का कोई अधिकार व औचित्य नही है जो कि कस्टोडियन भूमि है एवं उपकृषक जयमल पुत्र श्योनारायण गुर्जर नांगलवाल की है तथा खसरा नम्बर 268 के खातेदार श्योनारायण जयमल रामसिह एवं मुखराम पुत्र भगता जाट की है जिनसे अपीलार्थी का दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नही है एवं खसरा नम्बर 267, 268, 274 से सम्बन्धित कृषि भूमि के असली मालिकों द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि पूर्व से ही खसरा नम्बर 380, 381, 378, 382, 377, 375, 376, 273, 274, 268, 267 में काफी समय पुराना रास्ता बना हुआ है एवं उक्त रास्ते पर ग्रेवल व मिट्टी डली हुई है और रास्ते से लगते हुए काफी मकान भी हुऐ है, पटवारी, तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर उक्त रास्ता का निरीक्षण भी किया गया है जिनके द्वारा दस्तावेजात में पूर्व से ही रास्ता दिखाया गया है व उक्त रास्ते से पक्की सड़क मिलती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलार्थी द्वारा केवल इकरारनामा होने की छाया प्रति पेश की गई किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड नही है ऐसी स्थिति में वर्तमान में अपीलार्थी को उक्त आराजी बाबत किसी प्रकार का उज्रात करने की कानूनन लोकस स्टेण्डाई प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर